



बिहार गाजट

卷之三

पिंडीर भरकार इस जन्मी

It was not until after the Second World War that the first major breakthroughs were made.

३० कार्तिक १९२८ (ग्र०) ३० वेसे ३० (६)

(सं० पटना ९२७) पटना, मगलवार, २१ नवम्बर २००६

卷之三十一

संविधान सभा में संविस्तर (संसदीय कार्य) सचिवालय विभाग

के द्वारा एवं उनकी विवरणों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।

Digitized by srujanika@gmail.com

प्राचीन विद्या का अध्ययन एवं उत्तम विकास के लिए संघर्ष करते हुए 11-16 नवम्बर 2006

Digitized by srujanika@gmail.com

संख्या सं० का०-१/वि०म० (सदस्यों) ४०२३/२००६—१०८२—विहार विधान मण्डल (सदस्यों का बतना है)।

एवं पृष्ठन) आधानयम्, 2006 (आधानयम् सं 16, 2006) का धारा ४ के द्वारा प्रदत्त गतिवादों का क्रमते हए विद्यार्थके उपर्याप्त विद्यार्थविधानसंग्रह (सदस्यों का वेतन भत्ते एवं पैशान) नियमावली;

में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

Digitized by srujanika@gmail.com

बिहार विधान मण्डल (सदस्या का बतन, भूत एवं प्रश्न) (संशोधन) नियमावली, 2008

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ।—(1) यह नियमावली विहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भर्त

(२) या संस्कार से विभिन्नता ही अविभाग ही दिखि से की प्राप्ति होयी।

(2) यह संशोधन मूल नियमावली का आद्यसुचना का तथा संलग्न प्रभाद है।

2. उक्त नियमावली ,2006 के नियम 2(घ) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा

(i) सिवा सिवा पात्र ही अधिकार लाभों के द्वारा पात्र हो जबकि इस वास-विदेशन पर

(१) बिहार विद्यालय मण्डल के निवाचत सदस्यों के बह स्थान जा उनके हारा नामनामदराग
जैसे अल्लेखित स्थायी पत्र अंकित हों या

(ii) गृह विधान-सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उनका स्थायी निवास स्थान, जिसे सदस्य शपथ ग्रहण के

(iii) विद्यार्थी सूचित करें, तुरत सूचित करें,

(iii) विहार विद्यालय मण्डल के मनानात् सदस्य के लिए वह स्थान जहा भवानीका दूषा नाम हो ।"

3. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) में संशोधन—नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त

“8000” के बाद शब्द एवं कोष्ठक “(आठ हजार)” अतः स्थापित किये जायगे तथा शब्द एवं अनुमान्य विलोपित किये जायेंगे।

4. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 में संशोधन—नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक “10”

अंक, शब्द एवं कोष्ठक शब्द “12000 (बारह हजार)” रूपये द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा।

5. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 6 में संशोधन—नियम 6 के शीर्षक में प्रयुक्त शब्द “की सुविधा” शब्द “भत्ता” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक एवं शब्द “4000 (चार हजार)” अक एवं शब्द “2000 (दो हजार)” रूपये द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

6. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 7 में संशोधन—नियम 7 के चौथी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “भुगतेय” शब्द “देय” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

7. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 8 में संशोधन—(1) नियम 8(ख) की चौथी पंक्ति एवं आठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “सामान्य” एवं नियम 8(ख)(v) के द्वितीय परन्तुक में प्रयुक्त शब्द “स्थायी” को एतद्द्वारा विलोपित किये जाते हैं।

(2) नियम 8(ख)(v) के छठे परन्तुक की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “कोई” शब्द “याक्ता” द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(3) नियम 8(ख)(v) के पांचवें परन्तुक की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “दर से” एवं “मील भत्ते” के बीच शब्द “प्रतिदिन अधिकतम 200 किलोमीटर की सीमा तक” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

8. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 में संशोधन।—(1) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 की कड़िका (1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “बीस दिनों” के बाद शब्द “की याक्ता” एवं चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अक एवं शब्द “15 दिनों” के बाद शब्द “की याक्ता” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(2) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9(1) के प्रथम परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा :—

“परन्तु और कि सदस्य को पूरे माह के लिए अनुमान्य दैनिक-भत्ता उस अवस्था में भी देय होगा जब सदस्य अनुमान्य हवाई याक्ता। ऐल याक्ता/सड़क याक्ता की हो।”

(3) उक्त नियमावली, 2006 के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में “संयुक्त अधिवेशन” के बाद शब्द “या समितियों की बैठकों” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(4) नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक में जहां-जहां शब्द “अधिवेशन” प्रयुक्त किये गये हैं, उसके बाद शब्द “या समितियों की बैठक” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

(5) नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) का द्वितीय स्पष्टीकरण की कड़िका (ii) में शब्द “अविच्छिन्न अधिवेशनमाला” के बाद शब्द, “या समितियों की बैठक की अविच्छिन्न शृंखला”, दूसरी एवं तीसरी पंक्ति में शब्द “अधिवेशन” के बाद शब्द “या समितियों की बैठक” अन्तःस्थापित किये जायेंगे तथा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम को विलोपित करते हुए शब्द, “या कोई बैठक नहीं हुई हो” जोड़े जायेंगे।

(6) नियम 9 के उप-नियम (2) में अक “8” अक “9” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(7) नियम 9 के उप-नियम (2) में प्रथम एवं दूसरी पंक्ति में शब्द “अधिवेशन” के बाद शब्द “या समितियों की बैठक” अन्तःस्थापित किये जायेंगे।

9. उक्त नियमावली के नियम 10 की पांचवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “निजी” एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

10. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 14 में संशोधन—(1) नियम 14 की तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द “सामान्य” एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है।

(2) नियम 14(ख)(i) का द्वितीय परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

“परन्तु और कि सदस्य उसी वित्तीय वर्ष की अनुमान्य स्थानीय कौल सीमा के मूल्य के अधीन रहते हुए मोबाइल एवं इंटरनेट की मुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।”

11. उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17 में संशोधन—नियम 17(1) के द्वितीय परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा :—

“परन्तु और भी कि बिहार विधान मण्डल के बैसे सदस्य, जो दोनों सदनों के सदस्य रह चुके हों, अंतिम बार जिस सदन के सदस्य रहे हों, वहीं से उन्हें दोनों सदनों की सदस्यता अर्वाध की गणना करके रेंशन देय होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भूमोन्द्र झा,
सरकार के उप-सचिव।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
भूमोन्द्र झा, सरकार के उप-सचिव।

बिहार राज्यपाल (भूमोन्द्र झा), 927—लाइनो—571-1000—यारा, पासू, पान्डु, पान्डु